रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 46 ● अंक – 13 ● कानपुर 1 से 15 जुलाई 2024 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

देश के कोने–कोने में मनाया गया
अंतर्राष्ट्रीय योग एवं विजय दिवस

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दिया जायेगा ज्ञापन

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया अपना 46 वां स्थापना दिवस दिनांक 25 जुलाई, 2024 को देश भर में मानयेगी इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे0 पी0 नड्डा जी को धन्यवाद ज्ञापन भी प्रेषित किया जायेगा, यह बात विजय दिवस के अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष डा0 मो0 हाशिम इदरीसी ने कही, उन्होंने कहा कि श्री नड्डा जी के सहयोग से ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 21 दिसम्बर, 2017 को पत्र जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 21 जून, 2011 का आदेश आज भी प्रभावी है, हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी इस आदेश को आगे भी जारी रखेंगे, विजय दिवस कार्यक्रम में श्री मिथलेश कुमार मिश्रा, श्री अनुज शुक्ला, मो0 नसीम एवं शुभम ने अपने विचार व्यक्त किये कार्यक्रम का संचालन डा0 अतीक अहमद ने किया।

फतेहपुर– अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस, फतेहपुर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेंटर खम्भापुर एवं श्री कृष्ण आदर्श विद्या मन्दिर दिव्यांग एवं पुनर्वासन विद्यालय के तत्वाधान में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के जनपद कार्यालय फतेहपुर में धूम–धाम से मनाया गया, सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता डा0 काउंट सीज़र मैटी के चित्र पर पूर्व सूबेदार मेजर उ0प्र0 पुलिस हाजी अनीस उल्लाह, प्रभारी अधिकारी डा0 वकील अहमद ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरूआत की मनीष कुमार सिंह तथा पूर्व सूबेदार मेजर ने उपस्थित नागरिकों एवं बच्चों को योग कराया तथा उनको योग करने के लाभ भी बताए, प्रभारी अधिकारी ने बताया कि योग करने से न सिर्फ हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि असमय आने वाली बीमारियों से भी बचते हैं, इस अवसर पर श्री कमल, रिंकू , कुलदीप, अनुज, अदनान, तथा समाजसेवी चैतन्य कुमार आदि उपस्थित थे।

अंत में ज़िला प्रभारी डा0 वकील अहमद ने सबका मुंह मीठा कराते हुए सभी का आभार प्रकट किया।

रायबरेली– भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की प्रारम्भिक शासकीय अधिकार की कामना 21 जून, 2011 को पूरी हुयी, जब भारत सरकार ने आदेश संख्या सी. 30011/22/2010 एच0 आर0 इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ डण्डिया के पक्ष में देश के सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुपालनार्थ प्रेषित किया जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास का मार्ग सुगम हो गया, तभी से इस दिवस को प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, उक्त विचार आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट के प्राचार्य डा0 पी0 एन0 कुशवाहा ने छजलापुर स्थित 14वें विजय दिवस समारोह में व्यक्त किये, इस अवसर पर ज़िला प्रभारी अधिकारी डा0 आर0 के0 द्विवेदी ने कहा जो छात्र कोर्स उत्तीर्ण कर चुके हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से कराकर ज़िला स्तर पर पंजीकरण करा लें तथा निर्भय होकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करें।

समारोह में उपस्थित चिकित्सकों में डा0 सत्यपाल वर्मा, डा0 लालता, रामपाल, डा0 राजेन्द्र सिंह, डा0 मलखान, रावेंद्र सिंह, दिनेशचंद्र, सुनील कुमार, आदि सभी चिकित्सक थे, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री रामदीन विश्वकर्मा ज़िला सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी।

समारोह की अध्यक्षता डा0 त्रिलोक सिंह ने की।

मंच पर इहमाई के अध्यक्ष डा0 मो0 हाशिम इदरीसी एवं बायें कार्यक्रम का संचालन करते डा0 अतीक अहमद –छाया गज़ट

आशीष इलेक्ट्रो हाम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट के प्राचार्य EH डा0 पी0 एन0 कुशवाहा विजय दिवस समारोह में मैटी जी को माल्यार्पण करते हुये, नीचे समारोह में उपस्थित चिकित्सक –छाया गज़ट

उत्तर प्रदेश में यदि चिकित्सा व्यवसाय करना है तो पंजीकरण से बचना असम्भव

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे महत्वपूर्ण विषय चिकित्सकों के पंजीकरण का है, प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में इस आशय का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, विभागीय कार्यवाही भी बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है, प्रारुप भी तैयार हो चुका है प्रदेश में यह नया नियम लागू भी हो चुका है।

हम हर उस सरकारी कार्यवाही का सम्मान करते हैं जो सरकार द्वारा निर्णय में लाये जाते हैं चूँकि यह बात स्पष्ट है कि चिकित्सक को जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना है उसे उस राज्य के प्रचलित कानूनों और नियमों का पालन करना ही होगा तभी चिकित्सक अधिकार पूर्वक विधि सम्मत ढंग से चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है, यह नियम मात्र इलक्ट्रो होम्योपैथी के लिये नहीं अपितु सभी प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों पर प्रभावी होता है, इसे हम विडम्बना ही कहेंगे कि पता नहीं क्यों हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक पंजीयन के नाम से घबड़ाता है, अधिकार तो मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की भांति चाहता है परन्तु जब कर्म की बारी आती है तब वह बहुत पिछड़ जाता है, ऐसी स्थिति में यह चिकित्सक किस प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला कर पायेंगे।

गत कई वर्षों से बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 निरन्तर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को पंजीयन के विषय पर जागरुक कर रहा है, चिकित्सकों को जागरुक करने के लिये बोर्ड द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ''चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान'' है, इस अभियान के माध्यम से बोर्ड सीधे चिकित्सकों से जुड़ रहा है और हर चिकित्सक को यह स्पष्ट निर्देश दिये जा रहे हैं कि अपने अधिकारों को पहचानें और जागरुक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें, ज़िला प्रभारियों के माध्यम से हर चिकित्सक को यह बताया जा रहा है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये हर चिकित्सक को उसकी पद्धति के अनुसार जनपद में उसके उस पद्धति के मुखिया के यहां पंजीयन का आवेदन करना है नये नियमों के अंतर्गत अब शासनादेश संख्या 1297/71–आयुष–1–2016– डब्लू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 के अनुसार यह कार्य हर चिकित्सक के लिये आवश्यक है, सरल भाषा में यूँ समझें कि *एलोपैथिक चिकित्सक उत्तर प्रदेश में यदि चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है तो उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाकर अपनी योग्यता, अर्हता एवं पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित अधिकारी को देनी है, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के चिकित्सक क्षेत्रीय आयुवेर्दिक/ यूनानी कार्यालय में अपना पंजीयन कराते हैं, होम्योपैथी के चिकित्सकों को ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी* (डी0एच0ओ0) *कार्यालय में ज़िला पंजीयन का प्राविधान है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों के लिये* प्रदेश सरकार द्वारा 04 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऐसे चिकित्सक जो बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत हों को चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु शासकीय अधिकारानुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को *अपना आवेदन ज़िला प्रभारी के कार्यालय में* आवेदन जमा करना पड़ता है, बिना ज़िला पंजीयन के प्रैक्टिस करना अवैधानिक और अनाधिकारिक है, यह पंजीयन इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि इस पंजीयन का आवेदन इस बात को प्रमाणित करता है कि पंजीयन के लिये आवेदन करने वाला चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये अधिकार प्राप्त है, जो चिकित्सक बिना आवेदन किये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह लाख पढ़े लिखे हों और अपनी काउन्सिल में विधिवत पंजीकृत भी हों फिर भी झोलाछाप की श्रेणी में आ जाते हैं, इस प्रकार अब प्रदेश में *इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है* इस पद्धति के चिकित्सकों के ऊपर वही नियम प्रभावी हैं जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिये हैं, इसलिये जो चिकित्सक पंजीयन से भाग रहे हैं या ऐसा समझ रहे हैं कि वे बिना पंजीयन के ही अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यह उनका बहुत बड़ा भ्रम है, अब तक बचे रहे आगे भी बचे रहेंगे ऐसा सोचना गलत है, जब कभी भी स्थानीय स्तर पर जाँचें प्रारम्भ होती हैं तब ऐसे चिकित्सक अपनी क्लिनिकें बन्द कर भाग जाते हैं या फिर किसी तिकड़म में जुट जाते हैं, दोनों ही दशायें एक चिकित्सक के लिये उचित नहीं है, मैदान तो वह छोड़ते हैं जिनके पास अधिकार नहीं होते हैं या फिर अधिकारों को प्रयोग में लानें की उनके अन्दर क्षमता नहीं होती है, अब तो धीरे–धीरे स्थितियां बदल रही हैं सबकुछ आपके ही पक्ष में होता जा रहा है इसलिये पलायन नहीं पंजीकरण की बातें करें।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अब कोई समस्या है नहीं समस्यायें तो हम स्वयं खड़ी कर रहे हैं

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जब भी कहीं कोई बात चलती है तो समस्याओं की चर्चा अपने आप ही होने लगती है तब यह लगने लगता है कि समस्यायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्ता–धर्ताओं में ! समस्यायें कहाँ नहीं होती हैं ? तो इसका उत्तर आयेगा जब तक जीवन है और जीवन में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है तो समस्याओं से हमारा सामना तो होता ही रहेगा परन्तु समस्याओं से डर कर हम अपनी दिशा ही बदल दें या लक्ष्य से हट जायें तो यह किसी समस्या का समाधान नहीं यदि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो एक बात तो एकदम स्पष्ट हो ही जाती है कि समस्यायें पद्धति में या पद्धति से नहीं हैं अपितु समस्याओं की जड़ में हमारी अधकचरी सोच है सब कुछ पाने के बाद भी कुछ न पाने जैसा व्यवहार करना ! यह किस बात का प्रदर्शन है ? यह शायद समझ से परे है।

विगत कुछ वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा वर्ग ज़्यादा सक्रिय हो गया है जिसका विश्वास कर्म से ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर लेने में है और अधिकार भी व्यक्तिगत होने की लालसा रखते हैं, यही एकमात्र कारण है जो समय लम्बा खिंचता जा रहा है और समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, कभी–कभी तो ऐसा लगने लगता है कि क्या यह अन्तहीन समस्यायें हैं ? तभी मन कहता है कि ऐसी कोई समस्या अभी तक पैदा नहीं हुयी जिस समस्या का समाधान नहीं हो और समाधान में अस्तु , किन्तु और परन्तु का कोई स्थान होता ही नहीं है देखा जाये तो अब समस्या है ही कहाँ ! जो भी समस्यायें हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वे सारी की सारी हमारे द्वारा ही तो पैदा की गयी हैं, अगर हम मन से स्थिर हो जायें और स्वयं पर विश्वास करने लगें तो धीरे–धीरे समस्यायें स्वयं ही समाप्त होने लगेंगी, स्वयं द्वारा निर्मित कुछ समस्याओं पर इस लेख के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करने की, यह कोई समस्या नहीं है– 21 जून, 2011 का आदेश राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अधिकार देता है, 04 जनवरी 2012, 02 सितम्बर 2013, 14 मार्च 2016 हमें प्रदेश में अधिकार पूर्वक कार्य करने के पूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं, अब जब हम स्वयं ही इन अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहतें हैं तो किसी का क्या दोष ? न्यायालय का आदेश है जिस पर शासन की मुहर भी है, नये नियम के अनुसार वर्तमान में एलोपैथिक चिकित्सक उत्तर प्रदेश में यदि चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है तो उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाकर

अपनी योग्यता, अर्हता एवं पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित अधिकारी को देनी है जिसे आम भाषा में सी0 एम0 ओ0 पंजीयन का नाम दिया गया है इसी प्रकार आयुर्वेदिक एवं यूनानी के चिकित्सक क्षेत्रीय आयुवेर्दिक/ यूनानी कार्यालय मे अपना पंजीयन कराते हैं, चिकित्सा जगत में अब बारी आती है होम्योपैथी एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की तो होम्योपैथिक पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सक अपना ज़िला पंजीयन, ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी (डी0एच0ओ0) कार्यालय में कराते हैं अन्त में बचती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों की तो शासनादेश संख्या 1297/71–आयुष–1–2016–डब्लू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 के अनुसार उत्तर प्रदेश यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करना चाहते हैं तो इन्हें अपने जनपद के बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के अधिकृत ज़िला प्रभारी के कार्यालय में पंजीयन का आवेदन देना होता है, जिन ज़िलों में ज़िला प्रभारी कार्यालय नहीं हैं वहां के चिकित्सकों को सीधे क्षेत्रीय कार्यालय में अपने पंजीयन का आवेदन करना होता है, ज़िला प्रभारियों की सूची इस लेख के अन्त में दी गयी है, यदि हम ज़िला पंजीयन कराने से कतरायेंगे तो समस्यायें तो जन्म लेंगी ही, अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि समस्या खुद की पैदा की हुयी है कि नहीं ? अब इसी विषय को लेकर व्यर्थ का विवाद करना कहाँ की नैतिकता है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है और यही समस्या सारी समस्याओं की जननी भी है यह समस्या है संस्थाओं के संचालन की, 25 नवम्बर, 2003 का आदेश आने से पहले प्रदेश में लगभग 3 दर्जन शीर्ष संस्थायें और लगभग 350 से ऊपर विद्यालय संचालित हो रहे थे अब अधिकार किसी एक संस्था के पास निहित है बाकी अधिकारों के लिये परेशान हैं, यह समस्या भी कोई समस्या नहीं है, भारत में लोकतंत्र है हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है, वर्ष 2004 में न्यायालय का एक आदेश आया कि चिकित्सा प्रमाणपत्र देने वाली सभी संस्थायें अपने पंजीयन का आवेदन शासन में करें अब हर एक संस्था संचालक के पास सुनहरा अवसर था कि शासन में पंजीयन हेतु आवेदन करता और आदेश प्राप्त कर लेता फिर अधिकार पूर्वक कार्य करता ऐसे में समस्या कहाँ थी ? परन्तु लोगों ने ऐसा नहीं किया और अपने लिये स्वयं ही समस्यायें पैदा कर लीं।

जो लोग व्यर्थ का प्रलाप करते हैं कि सरकार हमें कोई अवसर नहीं दे रही है ऐसे लोग भोले–भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, सरकार किसी से भेद– भाव नहीं करती है हर एक को कार्य करने का पूर्ण अवसर प्रदान करती है आप ही अवसर लेना न चाहें तो कोई क्या करेगा ? देश और प्रदेश में कार्य करना है तो प्रचलित कानूनों का पालन तो करना ही पड़ेगा।

तीसरी समस्या है स्वयं को स्थापित करने की ! यह भी कोई समस्या की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि स्थापित होने के लिये कार्य करके स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता है यदि हमारा कार्य जनोपयोगी है तो हमारी पूछ स्वयं ही हो जायेगी किसी शायर की यह पंक्तियां कि– खुद ही को कर बुलन्द इतना कि हर तदबीर से पहले – खुदा बन्दे से

शेष पेज 3 पर

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अब कोई समस्या

पेज 2 से आगे .....

खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है ? इसलिये कर्म करो गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है–

कर्म करो!

फल की चिन्ता मत करो !!

हर मतावलम्बी एक ही बात कहता है कर्म प्रधान विश्वरचि राखा लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथों को कर्म की तुलना में अधिकार की ज़्यादा महत्ता है और इसी सोच ने नई–नई समस्याओं को जन्म दिया है सूचना के अधिकार का इस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके कारण नई–नई बातें जन्म ले रही हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ साथियों को सूचना के अधिकार नामक अस्त्र के प्रयोग में महारत हासिल है, ऐसे–ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके उत्तर युद्धिष्ठर के पास भी नहीं होंगे, एक सज्जन ने प्रश्न किया मैटी के अतिरिक्त इस पद्धति के आविष्कार में किस वैज्ञानिक का योगदान है ? इसका उत्तर क्या हो सकता है यह तो प्रश्न पूछने की कल्पना करने वाले पर निर्भर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काम कर सकते हैं या नहीं, प्रश्न करने वाला कितना भोला है 25 नवम्बर, 2003 काम करने की तो निदेर्शिका है, 05–05–2010 शंकाओं का समाधान है और 21 जून, 2011 भारत सरकार द्वारा जारी अधिकार पत्र है इसके उपरान्त भी कार्य कैसे करें ? यह पूछना समस्याओं को जन्म देने जैसा है।

किसी ने होम्योपैथी, सिद्धा और सोवा–रिग्पा जैसी चिकित्सा पद्धतियों के मान्यता के बारे में सरकार से प्रश्न किया कि इन पद्धतियों की मान्यता सरकार ने किन परिस्थितियों में दी हैं ? सरकार ने दो–टूक जवाब दिया हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसी तरह का एक प्रश्न कि डा0 लिखने का अधिकार किस–किस को है ? जवाब आया 25 नवम्बर, 2003 का अवलोकन करें।

यह सारे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि समस्यायें कहीं नहीं हैं और समस्या अगर कहीं है तो वह हमारे मन में है।

इसलिये मन को स्थिर रखते हुये सिर्फ़ काम करें और समस्याओं को जन्म न दें।

जनपद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रभारियों की सूची

क्रम	फोटो	नाम	जनपद	पता	मोबाईल
01		EHडा0 गौरव द्विवेदी ID-UP74	उन्नाव	469/2 व्रन्दावन कालोनी, उन्नाव–209801	9935332052
02		EHडा0 रमेश कुमार द्विवेदी ID-UP61	रायबरेली	छजलापुर,आई0टी0आई0, रायबरेली–229010	9307885280
03		EHडा0 अमित कुमार विश्वकर्मा ID-UP46	लखीमपुर	ओदरहना, महेबागंज, लखीमपुर–261506	7398153468
04		EHडा0 सैयद नदीम हुसैन ID-UP37	जौनपुर	97–ए ओलन्दगंज, राजबहादुर, कटरा, जौनपुर–222001	8299202529
05		EHडा0 सैयद नदीम हुसैन ID-UP29	गाज़ीपुर	97–ए ओलन्दगंज, राजबहादुर, कटरा, जौनपुर–222001	8299202529
06		EHडा0 सैयद नदीम हुसैन ID-UP18	चन्दौली	97–ए ओलन्दगंज, राजबहादुर, कटरा, जौनपुर–222001	8299202529
07		EHडा0 सैयद नदीम हुसैन ID-UP75	वराणासी	97–ए ओलन्दगंज, राजबहादुर, कटरा, जौनपुर–222001	8299202529
08		EHडा0 विनय कुमार श्रीवास्तव ID-UP49	महाराजगंज	हमीद नगर, नौतनवां, महाराजगंज–273164	9453914181
09		EHडा0 विनय कुमार श्रीवास्तव ID-UP70	सिद्धार्थ नगर	इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय, बड़ौदा यू0पी0 बैंक के सामने, लोटन बाज़ार, सिद्धार्थ नगर	9453914181
10		EHडा0 विनय कुमार श्रीवास्तव ID-UP31	गोरखपुर	हमीद नगर, नौतनवां, महाराजगंज–273164	9453914181
11		EHडा0 मुहम्मद इसरार खान ID-UP26	फिरोज़ाबाद	एरांव रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद–283151	9634503421
12		EHडा0 नेम सिंह बघेल ID-UP35	हाथरस	विवेक क्लीनिक,आगरा बाईपास रोड, सादाबाद, हाथरस–281306	8791443887
13		EHडा0 गणेश सिंह ID-UP32	हमीरपुर	सुमेरपुर, सागर रोड, हमीरपुर	9838714509
14		EHडा0 गया प्रसाद ID-UP36	जालौन	सुजानपुर, बरखेरा, जालौन–285203	8874429538
15		EHडा0 बृज किशोर वर्मा ID-UP02	अलीगढ़	गली न0–2, गोविन्द नगर, नौरंगाबाद, अलीगढ़–202001	9639520078
16		EHडा0 वकील अहमद ID-UP25	फतेहपुर	खम्बापुर, फतेहपुर–212601	8115210751
17		EHडा0 अयाज़ अहमद ID-UP52	मऊ	निकट पुराना ग्रामीण बैंकए क़ाज़ी टोला,वलीदपुर, मऊ–276405	9305963908

शेष अंतिम पेज पर

जनपद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रभारियों की सूची

....पेज 3 से आगे

क्रम	फोटो	नाम	जनपद	पता	मोबाईल
18		EHडा0 अयाज़ अहमद ID-UP06	आज़मगढ़	निकट पुराना ग्रामीण बैंकए क़ाज़ी टोला,वलीदपुर, मऊ–276405	9305963908
19		EHडा0 अयाज़ अहमद ID-UP09	बलिया	निकट पुराना ग्रामीण बैंकए क़ाज़ी टोला,वलीदपुर, मऊ–276405	9305963908
20		EHडा0 रश्मी पत्नी श्री दीप नारायण ID-UP41	कानपुर देहात	आस्तिक मुनी मंदिर के सामने, कोरियाँ, कानपुर देहात–209206	6394083854
21		EHडा0 मो0 अखलाक़ ID-UP22	इटावा	128 – कटरा पुर्दल खान, इटावा –206001	7417775346
22		EHडा0 सैयद तुफ़ैलुर रहमान ID-UP23	अयोध्या (फैज़बाद)	सादात , रौनही, अयोध्या (फैज़बाद)–224182	9956081159
23		EHडा0 जीना अर्शद ID-UP50	मैनपुरी	मोहल्ला फर्रास, पोस्ट धिरोर, मैनपुरी–205121	7078111447
24		EHडा0 श्रीमती मौहरश्री ID-UP01	आगरा	विवेक क्लीनिक,बमान रोड, पूठा चौराहा, पोस्ट–बाससौना, आगरा–283126	7500375933
25		EHडा0 बाबू खाँ फारुक़ी ID-UP21	एटा	अलशिफा हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लीनिक, लोहा मण्डी, अकबरपुर हवेली, जलेसर, एटा	9219775696
26		EHडा0 गुलशन बानो ID-UP05	औरैय्या	पुत्री श्री सपनीउल्ला खान, 128 – कटरा पुर्दल खान, इटावा –206001	7417775346
27		EHडा0 राम कुमार सिंह ID-UP17	बुलन्द शहर	खुर्जा, बुलन्द शहर–203131	9411003464
28		EHडा0 सुमित कुमार शर्मा ID-UP54	मेरठ	आई ब्लॉक, गंगा नगर, मेरठ–250001	9760033082
29		EHडा0 साहब सिंह बुन्देला ID-UP38	झांसी	वार्ड नम्बर–1, टहरौली किला, झांसी–284202	9450073220
30		EHडा0 अरुण त्यागी ID-UP33	हापुड़	असोड़ा रोड, हापुड–245101	7983052913
31		EHडा0 पुष्पा सिंह कुशवाहा ID-UP08	बहराइच	152– बशीरगंज, बहराइच–271801	9451758141
32		EHडा0 राज कुमार तेवतिया ID-UP28	गाजियाबाद	बी0–71 श्याम पार्क एक्सटेन्शनए साहिबाआद, गाज़ियाबाद	9412129598
33		EHडा0 राज कुमार तेवतिया ID-UP27	गौतम बुद्ध नगर	बी0–71 श्याम पार्क एक्सटेन्शनए साहिबाआद, गाज़ियाबाद	9412129598
34		EHडा0 मु0 कलीम खान ID-UP16	बदायूँ	वार्ड नम्बर–7 बनिया जंगपुरा, वज़ीरगंज, बदायूँ–273726	7078926140

क्षेत्रीय कार्यालय

कानपुर

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0
127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014

सम्बद्ध मण्डल

↓

कानपुर, चित्रकूटधाम, झाँसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, प्रयागराज, विन्ध्यांचल एवं वाराणासी

लखनऊ

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0
8– लाल बाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

सम्बद्ध मण्डल

↓

लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या,देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर एवं आज़मगड़

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।